



मराठा काल (1757 से 1853 ई.)

छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण



मराठाकाल

राजधानी – पुणे





1. बिंबाजी भोसले (1757 से 1787 ई.)

- रतनपुर व रायपुर ईकाईयों का एकीकरण कर छत्तीसगढ़ प्रांत की संज्ञा दी व अपनी राजधानी रतनपुर बनायी।
- न्याय संबंधी सुविधाओं हेतु इन्होंने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की।
- परगना पद्धति के सुत्रधार थे। (गढ़ पद्धति को समाप्त कर परगना पद्धति लाये)
- इन्होंने 36 गढ़ को मिलाकर 27 परगने बनाये।
- जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। दो नयी जमींदारी राजनांदगांव, खुज्जी का निर्माण किया।
- रायपुर के शासक अमनसिंह के पुत्र शिवराज सिंह को रायपुर, राजिम पाटन की जमींदारी वापस की।
- इन्होंने दशहरे के अवसर पर सोनपत्र देने की प्रथा की शुरुआत की।
- रतनपुर के एक पहाड़ी टीले पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी विद्यमान है व रामटेकरी के नाम से प्रसिद्ध है।
- रायपुर के दुधाधारी मठ का निर्माण पूरा करवाया
- इनकी तीन पत्नी थी –
 1. आनंदी बाई (रामटेकरी में विष्णु की मुर्ति)
 2. रमाबाई
 3. उमाबाई

- दिसम्बर 1787 ई. में इनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ उनकी पत्नी उमाबाई सती हुई। (नरजमीदारी में मृत्यु)
- रतनपुर में सीता चौरा का निर्माण करवाया।
- मराठाकाल में सबसे लोकप्रिय राजा हुये।
- यह निःसंतान थे।
- इन्होंने मराठी, मोड़ी व उर्दू भाषा का प्रयोग करवाया।
- इस समय नागपुरी रूपया चलता था पूरे मराठा काल में।
- इनके समय छ.ग. आने वाले पहले यूरोपिय यात्री कोलबुक छ.ग. की यात्रा पर आये, इन्होंने बिम्बाजी का वर्णन किया।
- कोलबुक ने लिखा है बिम्बाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ को सदमा पहुंचा था।

2. चिम्णाजी (1787 ई.)

3. व्यंकोजी भोसले (1787 ई. से 1812 ई.)

- व्यंकोजी ने अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनायी
- इन्होंने सुबा पद्धति लाया जो ठेकेदारी प्रथा थी जो 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने तक चला।
- इन्होंने नागपुर में ही रहकर छ.ग. का प्रशासन करना उचित समझा जिसके लिये इन्होंने सूबेदार की नियुक्ति की।
- छ.ग. में शासन करने के लिए 8 सूबेदार नियुक्त हुए।
- सूबेदार का पद वंशानुगत नहीं था। व्यंकोजी छ.ग. क्षेत्र को अपना जागीर समझता था।
- सूबेदारी व्यवस्था में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का शोषण होता था।
- नागपुर में ही रहकर व्यंकोजी शासन करना चाह रहे थे।
- अपने पूरे कार्यकाल में व्यंकोजी भोसले मात्र 3 बार छ.ग. आये।

क्र.	सूबेदार के नाम	कार्यकाल	अधीन
1.	महिपत राव दिनकर	1787-90 ई.	व्यंकोजी भोसले
2.	विठ्ठल राव दिनकर	1790-96 ई.	
3.	भवानी कालू	1796-97 ई.	
4.	केशव गोविन्द	1797-08 ई.	
5.	बिकोजी पेण्डी/वीरोकलकर	1808 ई.	
6.	बिकाजी गोपाल	1809-1816 ई.	अप्पा जी
7.	सरकारी हरि/सीताराम राठिया	1816 ई.	
8.	यादव राव दिनकर	1816-1818 ई.	

➤ महिपत राव दिनकर (1787 से 1790 ई.)

- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नियुक्त होने वाले पहले सुबेदार थे। इनके समय शासन की समस्त शक्तियाँ बिम्बाजी की विधवा आनंदीबाई के हाथों में केन्द्रित थी।
- आनंदीबाई व महिपतराव दिनकर के मध्य शासन पद्धति को लेकर मतभेद चलता रहा।
- यूरोपीय यात्री फारेस्टर छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आये। यह **17 मई 1790 दिन सोमवार** को रायपुर पहुंचा।
- फारेस्टर ने रायपुर के बारे में लिखा रायपुर एक बड़ा शहर है। जहां अनेक व्यापारी व धनी व्यक्ति निवास करते हैं।
- फारेस्टर ने **बूढ़ा तालाब** का भी वर्णन किया।
- इनके समय बस्तर का समकालीन शासक दरियादेव था।
- इनके कार्यकाल में राज्य की आय में कमी आयी।
6 लाख से कमी आकर 3 लाख आय हो गयी।

➤ विठ्ठलराव दिनकर (1790 से 1796 ई.)

- इन्होंने परगना पद्धति लागू किया।
- इन्होंने हलो की संख्या के आधार पर कर का निर्धारण किया।
- कैप्टन ब्लंट **13 मई 1795 ई** को रतनपुर आये। इन्होंने रतनपुर को गरीब राज्य कहा और रतनपुर को 1000 झोपड़ी वाला नगर कहा।
- परगनों में मराठा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।
- रतनपुर राज्य की आय में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुयी।
- कैप्टन ब्लंट **31 मार्च 1795 ई.** को रायपुर आये और इन्होंने लिखा –
 - ✓ व्यापार की दृष्टि से रायपुर बड़ा शहर है।
 - ✓ रायपुर में 3000 मकान होने का वर्णन किया है।
 - ✓ राजधानी न होते हुए भी रायपुर एक बड़ा शहर है।

➤ भवानी कालू (1796 से 1797 ई.)

- भवानी कालू अपने प्रतिनिधि के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा चलाना चाह रहे थे।
- इनका कार्यकाल सबसे छोटा था।

➤ केशव गोविन्द (1797 से 1808 ई.)

- इनका सबसे लंबा कार्यकाल था।
- संबलपुर को जीता और साम्राज्य विस्तार किया, विस्तार करने वाला एकमात्र सूबेदार था।
- इसी समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
- यूरोपीय यात्री कोलब्रुक इसी समय छत्तीसगढ़ आये और रतनपुर को तलाबों का नगर कहा।
- कोलब्रुक ने रतनपुर में 700 जलाशय का वर्णन किया।
- इन्ही के शासनकाल में पिंडारियों की गतिविधियों का आरंभ हुआ।

➤ बिकोजी पिण्डी (1808 ई.)

➤ बिकाजी गोपाल (1808 से 1816 ई.)


- पिण्डारी (लुटेरे) आंतक का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया।
- इस समय नागपुर में मराठा व अंग्रेजों के बीच तनातनी रहती थी।
- इसी समय सरगुजा के जमींदारों का विरोध हुआ।
- इसी समय 1812 में व्यंकोजी भोसले की मृत्यु हुई।
- अप्पाजी को छ.ग. का वायसराय नियुक्त किया गया।
- इन्हीं के काल में रघुजी-II (1816) की मृत्यु हो गयी।

➤ सरकार हरि (3 माह)/सीताराम राठिया (6 माह)

- अप्पाजी के द्वारा अत्यधिक कर मांग जाने के कारण सूबेदार यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते थे।

➤ यादवराव दिनकर (1816 से 1818 ई.)

- 31 मई 1818 ई. को ब्रिटिश रेजीडेन्ट जेनकिस की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया तथा सूबा शासन समाप्त हो गया।
- ब्रिटिश संरक्षणाधिकारी काल स्थापित होने तक अपने पद पर बने रहे।



1816 ई. से 1818 ई. तक का मराठा साम्राज्य में राजनैतिक अस्थिरता	
1812	व्यंकोजी भोसले की मृत्यु हो गयी
22 मार्च 1816	रघुजी-द्वितीय की मृत्यु हुई
27 मई 1816	अंग्रेज व अप्पाजी के बीच संधि हुयी
10 फरवरी 1817	परसाजी की अचानक से मृत्यु हो गई।
21 अप्रैल 1817	अप्पा साहब का राज्यरोहण हुआ अप्पाजी लालची होने के कारण पुणे के राजा बाजीराव-II से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षडयंत्र करने लगे।
14 नवंबर 1817	अप्पा साहब ने सेनापति की उपाधि धारण की जिसके कारण तृतीय आंग्लमराठा युद्ध हुआ।
27 नवंबर 1817	सीताबड़ी का युद्ध (अप्पाजी व बाजीराव विरुद्ध अंग्रेज) हुआ
दिसंबर 1817	अप्पाजी को पुनः गद्दी पर बैठाया गया।
2 जनवरी 1818	बानुबाई के पुत्र रघुजी-III को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया।
26 जून 1818	रघुजी-तृतीय को 12 साल की उम्र में उत्तराधिकारी बनाया गया।
1818-1830	रघुजी-III के छोटे होने के कारण ब्रिटिश संरक्षणाधीन काल प्रारंभ हुआ।
6 जून 1830	रघुजी-III व बिल्डर्स (ब्रिटिश रेजीडेंट) के बीच संधि।

ब्रिटिश संरक्षणाधीन काल (1818 से 1830 ई.)

- अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन लागू हुआ।
- ब्रिटिश अधीक्षक -

क्र.	अधीक्षक	कार्यकाल
1.	कैप्टन एंडमड	1818 ई.
2.	कैप्टन एगन्यु	1818-1825 ई.
3.	कैप्टन हंटर	1825 ई.
4.	कैप्टन मेंडिस	1825-1828 ई.
5.	कैप्टन विलिकन्स	1828 ई.
6.	कैप्टन फ्राफर्ड	1828-1830 ई.

1. कैप्टन एडमण्ड (1818 ई.)

- इनकी राजधानी रतनपुर थी।
- सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किये गये।
- अप्पा साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था, जिस पर नियंत्रण पा लिया गया।
- कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गयी।
- कुछ माह ही इन्होंने शासन किया।

2. कैप्टन एगन्यु (1818 से 1825 ई.)

- सर्वाधिक लम्बे समय तक ब्रिटिश अधीक्षक रहे।
- इन्होंने राजधानी रतनपुर से परिवर्तन कर रायपुर किया।
- परगनों का पूर्णगठन किया।

- अवांछनीय कर को समाप्त कर दिया।
- मुद्रा का एकीकरण किया और नागपुरी रूपया चलवाया।
- वस्तु विनिमय प्रणाली में सुधार किया।
- सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य प्रारंभ किया।
- इनके समय में कुछ विद्रोह का दमन किया गया।
 - ✓ धमधा के बनावटी गोड़ राजा के विद्रोह को शांत किया।
 - ✓ सोनाखान के जमींदार रामराज/रामराय के विद्रोह का दमन किया गया।
 - ✓ परलकोट (कांकेर) विद्रोह का दमन किया (1824–25)
 - ✓ कोटपाट संधि के विवाद को सुलझाया गया।
- नोट :- परलकोट विद्रोह के पश्चात् उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वापस ब्रिटेन चले गये।
- 1818 → 27 परगना → 8 परगना + 1 परगना

(1818)	(1820)
रायपुर,	बालोद
रतनपुर,	
धमतरी,	
धमधा,	
राजहरा – (सबसे छोटा),	
नवागढ़,	
दुर्ग,	
खरौद	
- छ.ग. में 27 परगने थे जिसे इन्होंने केवल 8 परगनों में सीमित कर दिया और परगनों में 8 कमाविसदार परगनाधिकारी के रूप में नियुक्त की।

3. कैप्टन हंटर (1825 ई.)

- यह अधीक्षक के पद पर कुछ माह ही रहे।

4. कैप्टन सेन्डीस (1825 से 1828 ई.)

- नागपुर घुड़सवार सेना के सैनिक अधिकारी थे।
- प्रशासनिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को मान्यता दिया।
- इन्होंने अंग्रेजी कैलेण्डर प्रारंभ किया गया।
- इन्होंने बस्तर व करोंद का विवाद सुलझाया था।
- छ.ग. में डाकतार के विकास का कार्य भी इन्हीं के शासन काल में किया गया।
- ताहुतदारी प्रथा प्रारंभ की – दो ताहुतदारी क्षेत्र –
 1. लोरमी
 2. तरेंगा

नोट :- ताहुतदारी – बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए भूमि दे दी जाती है।

- इन्हीं के समय 1826 में नागपुर का शासन पुनः रघुजी-III के अधीन आ गया।


5. कैप्टन विलिकन्स (1828 ई.)

6. कैप्टन फ्राफर्ड (1828 से 1830 ई.)

- अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे।
- 6 जून 1830 को ब्रिटिश रेजीडेंट बिल्डिस व रघुजी-III के मध्य हुए संधि के तहत छ.ग. में पुनः भोसला शासन प्रारंभ हो गया।

पुनः भोसला शासन (1830 से 1854 ई.)

- जिलेदारी के माध्यम से शासन करते थे।
 - छ.ग. में 8 जिलेदार नियुक्त किए गये थे।
1. कृष्णाराव अप्पा



2. अमृतराव अप्पा
3. सदरूद्दीन
4. दुर्गाप्रसाद
5. इन्दुकसेन
6. सखराम बापू
7. गोविन्दराव
8. गोपालराव

- रघुजी-III ने दो नयी ताहुतदारी बनायी
1. सिरपुर
 2. लवण
- 11 दिसम्बर 1853 को रघुजी-III की मृत्यु हो गयी
 - निःसंतान होने के कारण लार्ड डलहौजी के हड़पनीति के तहत 13 मार्च 1854 को संपूर्ण भोसला साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया।

मराठाकालीन राज्य के अधिकारी गण		
क्र.	अधिकारी	अधिकारी के कार्य
1	सूबेदार	सर्वोच्च अधिकारी, सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी
2	फड़नवीस	लेखाधिकारी, आय व्यय का हिसाब
3	पोतदार	खजाने का अधिकारी, खजाने में जमा राशि का हिसाब

मराठाकालीन परगनों के अधिकारी गण		
क्र.	अधिकारी	अधिकारी के कार्य
1	कमाविसदार	परगने का प्रमुख, सैनिक, फौजदारी दिवानी व माल संबंधी मामला
2	फड़नवीस	लोक लेखाधिकारी व परगने की जानकारी रखने वाला परगने की आय-व्यय की जानकारी रखने वाला
3	बड़कर	फसलों की दशा, कितने हल की संख्या, फसल बोयी गयी का हिसाब रखना। अपनी सूचना कमाविसदार को देते थे।
4	पोतदार	खजाने का प्रमुख, गांव का राजस्व अभिलेख तैयार करने वाला अधिकारी
5	बरार पाण्डे	कर निर्धारण करने वाला
6	पंडरी पाण्डे	मादक द्रव्यों का हिसाब-किताब करने वाला
7	माल चपरासी	संपत्ति की सुरक्षा, अपराधियों की खोज करना

ग्राम के अधिकारी गण		
क्र.	अधिकारी	अधिकारी का कार्य
1	गौटिया	गांव का कर निर्धारक, पुलिस, मजिस्ट्रेट
2	पटेल	कर वसुलने वाला
3	चौहान	गाव का रक्षक
4	कोतवाल	पहरेदार

मराठाकालीन कर व्यवस्था		
क्र.	कर	कर का विवरण
1	टकोली	वाषिक कर, साल में एक बार लिये जाने वाला कर
2	सायर	वस्तुओं के आयत-निर्यात पर कर/चुंगीकर
3	कलाबी	मादक द्रव्यों पर लिया जाने वाला कर/आबकारी कर बिक्री हेतु दिए गए लाइसेंस के रूप में लगाया जाता है
4	पण्डरी	गैर कृषिगत कार्यों पर लिया जाने वाला कर, कुम्हार, बढई, नाई (यह कर प्रत्येक ऐसे परिवार की आय का 10% होता था)
5	सेवई	छोटे-छोटे कर, अस्थायी कर, जो कर उपर्युक्त चारों में शामिल नहीं वह कर, जुर्माना, अपराधिक प्रवृत्ति रोकने के लिए जाने वाला कर हैं।
6	जमींदारी कर	अनाज पर दिया जाने वाला कर, गाड़ी के पीछे तीन पायली की दर से लगाया जाता था।

• दूरी की माप

- 3 मील = 1 कोष
1 कोष = 2 धाप

1 कोष = 2 धाप = 3 मील

• कीमती वस्तुएँ – सूत, घी, गुड़ व लाख की माप

- 1 पंसेरी = 5 सेर
8 पंसेरी = 1 मन

1 मन = 8 पंसेरी = 40 सेर

• माप एवं विनिमय

- 5 कौड़ी = 1 गंडा
5 गंडा = 1 कोरी
20 कोरी = 1 दोगानी
16 दोगानी = 1 रूपया

1 रूपया = 16 दोगानी = 320 कोरी = 1600 गंडा = 8000 कौड़ी

• वस्तु का माप हेतु प्रचलित इकाईयां

- 49/16 छटांक = 1 फोहाई
2 फोहाई = 1 अधेलिया
2 अधेलिया = 1 चौथिया
1 चौथिया = 1 काठा
20 काठा = 1 खंडी
20 खंडी = 1 गाड़ा

1 गाड़ा = 20 खंडी = 40 काठा = 1600 चौथिया = 3200 अधेलिया = 6400 फोहाई = 19600 छटांक

मराठा शासन (1757 ई. से 1854 ई.)			
प्रत्यक्ष शासन (1757-87)	सुबाशासन (1787-1818)	ब्रिटिश संरक्षणाधिरकाल (1818-1830)	पुनः भोसला शासन 8 जलेदारों की नियुक्ति
1. बिम्बाजी 2. चिम्णाजी	1. व्यंकोजी 2. अप्पा जी सुबेदार 1. महिपतराव 2. विट्ठलराव 3. भवानीकाल 4. केशवगोविंद 5. तिकाली 6. सरदार 7. यादवराव	1. कैप्टन एडमण्ड 2. कैप्टन ऐगन्यु 3. कैप्टन हंटर 4. कैप्टन सेंडिस 5. कैप्टन विलिकन्स 6. कैप्टन फ्रकर्ड	1. कृष्णराव 2. अमृतराव 3. सदरूदीन 4. दुर्गाप्रसाद 5. इन्दुकराव 6. सखाराव 7. गोविंद राव 8. गोपाल